केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध

भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का भाग 12 के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 264 से 291 के बीच वर्णन किया गया है। वित्तीय संबंधों में कर के विषय में कहा गया है कि कर विधि के प्राधिकार से ही लगाया जा सकता है अन्यथा नहीं (अनुच्छेद 265)। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व उधार से प्राप्त सभी धनराशि क्रमशः भारत की संचित निधि व राज्य की संचित निधि में ही रखे जाएंगे। भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशि विधि के अनुसार तथाइस संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही ही विनियोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं (अनुच्छेद 266)। संसद और राज्य विधान मंडलों को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा प्रत्येक वर्ष संघ ऐसे राज्यों की सहायता अनुदान अनुदान देगा जिसके बारे में संसद यह निर्धारित करें कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। जो संघ और राज्यों के बीच करो के शुद्ध आगमन के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है।

करो के संबंध में प्रावधान किया गया है कि संघ द्वारा लगाए गए कर किंतु राज्य द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाते हैं:- ऐसे मुद्रांक शुल्क तथा औषधियां और प्रसाधन वस्तुओं पर ऐसे उत्पादन शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है ।संघ द्वारा आरोपित किए जाएंगे(अनुच्छेद 268)। संघ द्वारा लगाए गए संग्रहित कर जिनका संघ तथा राज्यों के मध्य विभाजन किया जा सकता है (अनुच्छेद 270 272)। इसमें कृषि आय आय पर कर तथा संघ सूची में वर्णित औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन शुल्क संघ उत्पादन शुल्क। संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित कर किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर रहे हैं। कृषि भूमि से अन्य

Scanned with CamScanner

संपत्ति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क रेल भाड़ा व माल भाड़ा पर कर, शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के आदान-प्रदान पर मुद्रांक शुल्क शंकर समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उन में प्रकाशित विज्ञापनों पर, रेल, समुद्र या वायु द्वारा लगाए गए माल व यात्रियों पर सीमा तथा समाचार पत्र के अंतर राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य में माल के क्रय-विक्रय पर शामिल है।

इन संबंधों का संपूर्णता अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संघवाद की समान प्रकृति अथवा केंद्रीयता के अनुकूल ही इन उप बंधुओं की योजना हुई है। संघ सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र में अधिक स्थिर एवं शक्तिशाली है। देश के संयोजित विकास के लिए तथा राज्यों की संकीर्णता तथा प्रादेशिकता के भाव का विरोध करने के लिए इस प्रकार का प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक था। वर्तमान स्थिति में राज्यों के पास सीमित साधन है और अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के लिए उन्हें केंद्र की सहायता की आवश्यकता रहती है। इसलिए उन्हें केंद्र का नेतृत्व शिकार करना पड़ता है । कभी-कभी केंद्र के आदेशों के आगे झुकना भी पड़ता है इसमें विशेष गुण भी है और दोष भी है। किंतु भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के वर्तमान स्तर पर यही एकमात्र रास्ता था

Scanned with CamScanner